

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक- प.19(1)शिक्षा-2/2022 जयपुर, दिनांक- 20.09.2022 के अनुसरण में श्री रोहताश, व्याख्याता जीव विज्ञान की राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर की गई प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/रजीगृ/स्थानांतरण-पदस्थापन/2022 दिनांक-10.08.2022 के क्र०सं० 108 पर अंकितानुसार श्री रोहताश, व्याख्याता जीव विज्ञान का स्थानांतरण राउमावि उतरादावास, हनुमानगढ (214657) किया गया। उक्त आदेश के क्रम में श्री रोहताश व्याख्याता, जीवविज्ञान को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी अगामी उपस्थिति नव पदस्थापन स्थान पर देवे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति(अन्य)/2022

दिनांक- 11.10.2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.शिक्षा मंत्री महोदय, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा.शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय।
4. संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री रोहताश को इस कार्यालय के आदेश दिनांक-10.08.2022 की पालना में स्थानांतरित विद्यालय में कार्यग्रहण हेतु कार्यमुक्त करवाने का श्रम करावे।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
8. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी/कार्मिक प्रत
9. संबंधित अनुभाग अधिकारी, संस्थापन-(सी-1), कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
11. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर